

FORM-II

(For projects other than linear projects)

Government of H.P.

Office of the District Collector

26

No. SML-SR-(57)/2020- 643-644

Dated: 6.10.2020

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **00-45-50 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Nagar Panchayat, Narkanda for construction of Ice Skating Rink in Jungal Hawan (proposed for diversion of forest land) in Shimla District Falls within jurisdiction of Mauja Jungal Hawan (Madhawani) Tehsil Kotgarh, District Shimla, Himachal Pradesh.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **00-45-50 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Sub-Division Level Committee(S) and the District Level Committee are enclosed as annexure -A to annexure B.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- (c) Each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/process under FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion.
- (d) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA.



(Amit Kashyap)
District Collector,
Shimla (H.P.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....
प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 16-07-2017

प्रस्ताव संख्या 7

ग्राम सभा मधावनी की बैठक आज दिनांक 16-07-2017 को 11:00 बजे स्थान G.P. मधावनी में श्री/ श्रीमति जैशज लाल की अध्यक्षता में की गई जिसमें मधावनी (दोला) गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत रेलानिमला जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें वन विभाग द्वारा आईल सिकेटी रेल के निर्माण के लिए 4550 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं० *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्यौरा

1 स्वरत शाह वासी मधावनी - रेलानिमला

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं० *पात्र गांव वासी का नाम

1 -NA-

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार रेलानिमला जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान मधावनी
दिनांक 16-07-17



अधीकृत मधावनी मधावनी
DEPT. BLOCK NARKANDA, SHIMLA, H.P.

16-06-17

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा
प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक

प्रस्ताव संख्या

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा मधावनी की बैठक आज दिनांक 07-01-2018
को 11.00 बजे स्थान ग्राम पं० मधावनी में श्री/ श्रीमति रेखा लाल
की अध्यक्षता में की गई जिसमें मधावनी गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत रेखा निखल
जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें 20 फु ना० विभाग द्वारा **आई.ए.ए.डी.ए. रैंक
के निर्माण के लिए 0.45 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए
दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों
के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा
द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं० *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्यौरा

1 दोना दोना

2

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी
सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र०सं० *पात्र गांव वासी का नाम

1 दोना

2

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

दोना जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान
दिनांक

अधीक्षक
वन अधिकार समिति
ग्राम सभा दोना

सचिव
वन अधिकारी समिति
दोना

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग
की अनुमति दी जानी है।

Annexure-V

नुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा अष्टावनी
विकास खण्ड नाकडा जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपी प्रस्ताव - (10)

गणपूर्ति 89 / 299

दिनांक 07/01/2018

प्रस्ताव संख्या 10

विषय: नगर पंचायत नाकडा विभाग/संस्था को आईडीकारिंग रिक
के निर्माण हेतु दो जे जंगल/ वन क्षेत्र
में प्रस्तावित 0.45 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग
की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा अष्टावनी को बैठक आज दिनांक
07/01/2018 को 11-00 बजे स्थान अष्टावनी में की गई जिसमें नगर पंचायत
नाकडा विभाग/संस्था को आईडीकारिंग रिक के निर्माण हेतु दो जे
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.45 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के
लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित आईडीकारिंग रिक हेक्टेयर वन भूमि को आईडीकारिंग रिक निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा अष्टावनी की सहमति दी जाती है।

ग्राम सभा अष्टावनी



Prachan
PRACHAN

GRAM PANCHAYAT MADHAWA
DEV. BLOCK NANGANDA, SHIMLA, H.P.

16/01/18